न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कक्ष सं.-6, गौतमबुद्धनगर।
पीठासीन अधिकारीः आशीष कुमार चौरसिया- (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPGB010004222024

सत्र परीक्षण संख्या-25/2024

उत्तर प्रदेश राज्य...**.................अभियोजन**

बनाम

1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र संतू, निवासी- ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
2. रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
3. सौरभ उर्फ काले पुत्र सुरेन्द्र, निवासी-रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
4. देवेन्द्र पुत्र संतू-रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
5. कपिल पुत्र करतार, निवासी-रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
6. अंकित पुत्र जुमला, निवासी-रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
7. मोहित पुत्र संतू, निवासी-रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
8. पवन पुत्र सुरेश, निवासी- बागपुर, थाना ईकोटेक प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।
9. मनोज उर्फ आसे पुत्र जयपाल, निवासी-रोहित पुत्र संतू-ग्राम इमलियाका, इकोटेक-प्रथम, जिला गौतमबुद्धनगर।

..................अभियुक्तगण

मु०अ०सं०-254/2018
धारा-147,148,149,307,506 भा.दं.सं.
थाना-ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

अभियोजन की ओर से- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, श्री नितिन कुमार त्यागी
अभियुक्त की ओर से- विद्वान अधिवक्तागण, श्री अरूण कुमार चंदेला व श्री मुकेश सिसोदिया

निर्णय

1. अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोहित, देवेन्द्र, मोहित पुत्रगण संतू, सौरभ उर्फ काले पुत्र सुरेन्द्र, कपिल पुत्र करतार, अंकित पुत्र जुमला, पवन पुत्र सुरेश एवं मनोज उर्फ आसे पुत्र जयपाल** का विचारण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-147,148,149,307,506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए विरचित आरोपों के संबंध में किया गया है।

"Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in"

Digitally signed by Ashish Kumar Chaurasia
Date: 2026.07.15 16:05:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. संक्षिप्त रूप से वर्णित अभियोजन पक्ष का कथन, जैसा कि वादी मुकदमा सचिन द्वारा, थाना ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर पर प्रस्तुत की गयी लिखित सूचना से परिलक्षित होता है, निम्न प्रकार है-

"दिनाक 10.09.2018 को शाम 11:10 पर हल्दी राम (Mst Mall) से ड्यूटी आफ करके भाटी गोल चक्कर से इमलियाका अपने ग्राम की तरफ जा रहा था, OPPO कम्पनी पानी की टंकी के पास से राइट साइड से निकल रहा था, तब ही दूसरी तरफ से गाँव के कुछ लोग लेफ्ट साइड पर 4 गाडी 3 बाईक पर लगभग 10 से 12 लोग खड़े हुए थे। जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने मुझ पर सीधी गोलियां चलाई, जान से मारने की नियत से, मुझ पर कई गोलियां चलाई, मैं जान बचाकर अपनी स्कूटी को वहां पर छोड़कर भागा। शोर मचाते हुए घर की तरफ भागा। मेरी आवाज व गोली की आवाज सुनकर चिल्लाते हुए घर की तरफ भागता हुए घर आ गए, मेरा भाई अरुण, राहुल नरेश भी मौके पर आ गए, हम लोगों ने इनको पहचाना नाम– 1. जितेन्द (जीतू) पुत्र सन्तू 2. अंकित पुत्र जुगला 3. कपिल पुत्र करतार 4. देवेन्द्र पुत्र सन्तू 5. मोहित पुत्र सन्तू 6. रोहित पुत्र सन्तू 7. सौरभ उर्फ काले पुत्र सुरेन्द्र, निवासीगण ग्राम इमलियाका गांव के ही थे जिनको में पहचानता हूँ और बाकी लोगों को पहचान नहीं पाया, तभी मैंने 100 नम्बर पर पुलिस को कॉल करी, उसके बाद पुलिस आयी। मैं आपसी गांव का मामला होने के कारण रात्री में नहीं आ सका। आज दिन में इन लोगों ने मुझे फिर धमकी दी कि अगर तूने रिपोर्ट लिखाई तो तुझे जान से मार देंगे। तब मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ।"

03. वादी की इस रिपोर्ट पर थाना ग्रेटर नोएडा, की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 147,148,149,307,506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर इस अपराध की विवेचना थाना–ग्रेटर नोएडा के तत्कालीन विवेचक द्वारा प्रारम्भ की गयी।

04. विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मानचित्र रेखांकित किया गया एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षीगण के कथन अभिलिखित किये गये।

05. विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के उपरान्त मु०अ०सं०–254/2018, अंतर्गत धारा–147,148,149,307,506 भा०दं०सं०,1860, थाना–ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोहित, देवेन्द्र, मोहित पुत्रगण संतू, सौरभ उर्फ काले पुत्र सुरेन्द्र, कपिल पुत्र करतार, अंकित पुत्र जुमला, पवन पुत्र सुरेश एवं मनोज उर्फ आसे पुत्र जयपाल** की अपराध में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र अंतर्गत धारा–147,148,149,307,506 भा०दं०सं०,1860 को संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

06. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र में वर्णित अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्तगण को सभी आवश्यक प्रतिलिपियां प्रदान करने के उपरान्त तथा एकांतिक रूप से सत्र परीक्षण योग्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–147,148,149,307,506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों में अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य की उपलब्धता से संतुष्ट होते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध उनके न्यायालय में पंजीकृत फौजदारी वाद संख्या–13966/2019 को विचारण के लिए सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया जहाँ इसे सत्र परीक्षण संख्या–25/2014 के रुप में पंजीकृत किया गया।

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”

07. माननीय पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 18.10.2023 के अनुपालन में अभियुक्त **मोहित व अंकित** की पत्रावली पृथक की जा चुकी है। उपरोक्त पत्रावली में केवल अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोहित, मनोज उर्फ आसे, पवन, सौरभ उर्फ काले, देवेन्द्र व कपिल** का विचारण किया जा रहा है।

08. सत्र परीक्षण संख्या–25/2024, मु०अ०सं०–254/2018, अंतर्गत धारा – 148,149,307,506 भा.दं.सं. में दिनांक**–12.02.2024** को अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोहित, मनोज उर्फ आसे, पवन, सौरभ उर्फ काले, देवेन्द्र व कपिल** के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये तथा यह आदेश पारित किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–148,149,307,506 भा.दं.सं.,1860 का अपराध प्रथम दृष्टया साबित होता है, तदनुसार अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं से आरोपित किया जाता है। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की याचना की व पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

09. परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया तथा निम्न अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने नाम के सम्मुख अंकित अभियोजन प्रपत्र को न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयान में सिद्ध किया गया–

अभियोजन साक्षी संख्या	अभियोजन साक्षी का नाम	विवरण	संबंधित अभियोजन प्रपत्र	के रूप में सिद्ध किया
पी०डब्लू०-01	सचिन	वादी मुकदमा	तहरीर	प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-02	नरेश	चक्षुदर्शी	--	--
पी०डब्लू०-03	हेड कॉ० विनोद कुमार	प्राथमिकी साक्षी	एफ.आई.आर. व जी.डी.	प्रदर्श क-2 व क-3
पी०डब्लू०-04	अरूण	चक्षुदर्शी	--	--
पी०डब्लू०-05	एस.आई. राजीव कुमार	अनुसंधान साक्षी	नक्शा-नजरी व आरोप पत्र	प्रदर्श क-4 व क-5

10. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 सचिन** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि-

"मैं घटना के समय MSX मॉल में हल्दीराम में नौकरी करता था। वहां पर मेरी ड्यूटी का समय सुबह 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक का रहता था। मैं अपनी ड्यूटी ग्राम इमलियाका से ही किया करता था. दिनांक 10.09.2018 को मैं ड्यूटी के पश्चात् अपने गांव स्कूटी से जा रहा था। जब समय करीब 11:00 पी.एम. बजे पर मैं भाटी गोल चक्कर से होते हुए ओपो कम्पनी पानी की टंकी के पास पहुंचा तो वहां पर लेफ्ट साइट में तीन चार गाड़ी व बाइक पर 10-12 लोग खड़े हुए थे। तो मुझे वहां पर गोली चलने की आवाज आयी तो मैं डर गया मुझे लगा कि गोली मुझ पर चलाई गयी है। मैं डर कर अपनी स्कूटी वही पर छोड़कर अपने गांव की तरफ भागा। घर जाकर मैंने अपने भाई राहुल, अरूण व नरेश को बताया फिर

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”

कुछ देर बाद हम भाई व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर कोई व्यक्ति, गाड़ी व मोटरसाइकिल नहीं दिखी। हम लोग मौके पर पड़ी स्कूटी वहां से उठाकर घर पर ले आये थे। घटना से अगले दिन गांव के लोगों के कहने पर गांव के सूरत ने एक तहरीर लिखकर दी थी। जिस पर मैंने हस्ताक्षर कर थाना पर दे दिया था। इसी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त तहरीर पत्रावली पर प्रपत्र सं.-5 ए/1 के रूप में मौजूद है। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर अंकित है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। तहरीर पर **प्रदर्श क-1** डाला गया है।"

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-2 नरेश** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि-

"सचिन मेरे चाचा का पुत्र है। सचिन घटना के समय MSX मॉल में हल्दीराम में नौकरी किया करता था। दिनांक 10.09.2018 को सचिन अपनी ड्यूटी खत्म कर गांव इमलियाका वापस आ रहा था। समय रात्रि 11:15 बजे सचिन द्वारा घर आकर बताया कि ओपो कंपनी पानी की टंकी के पास 10-12 लोग 3-4 गाड़ियों व बाइक पर थे। जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे गोली चलने की आवाज आयी। सचिन को ऐसा लगा कि गोली उस पर चलाई गयी थी। सचिन डर कर अपनी स्कूटी छोड़कर वहां से भाग आया था। बात सुनकर मैं व अरूण तथा गांव के अन्य लोग सचिन के साथ बताये हुए घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहां पर कोई व्यक्ति हमें मौजूद नहीं मिला था। हम सचिन की स्कूटी घर पर ले आये थे। अगले दिन गांव के लोगों के कहने पर सचिन द्वारा यह मुकदमा लिखाया गया था। सचिन ने मुझे घटना कारित करने वाले लोगों में गांव के जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र व मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे और पवन के शामिल होने व देखने की बात नहीं बतायी थी। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा मुझसे कोई पूछताछ नहीं की गयी थी। "

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-3 हेड कॉ० विनोद कुमार** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 11.09.2018 को थाना ग्रेटर नोएडा (कासना० पर बतौर कॉस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी थाना कार्यालय में प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक की थी। उस दिन थाना कार्यालय पर वादी सचिन एक हस्तलिखित तहरीर लेकर आये थे। थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर तहरीर से शब्द-व-शब्द बोलकर कम्पयूटर ऑपरेटर से टंकित करवाकर मु.सं.-254/2018, अ० धारा- 147,148,149,307,506 भा.द.सं. बनाम जितेन्द्र उर्फ जीतू सात नफर अभियुक्त पंजीकृत किया था। जिसका खुलासा जी.डी. सं. 45 समय 19:00 बजे दिनांक 11.09.2018 को किया गया था। एफ.आई.आर. की एक प्रति वादी को प्रदान की गयी थी। एफ.आई.आर. व तहरीर की प्रति वास्ते विवेचना एस.आई. जसवीर सिंह को दी गयी थी। विवेचक महोदय द्वारा मेरे बयान लिये गये थे। गवाह ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्र सं.-4 ए/1 ता 4 ए/2 मूल एफ.आई.आर. को देखकर कहा कि यह वही एफ.आई.आर. है जो वादी सचिन की तहरीर के आधार पर पंजीकृत की गयी थी। शिनाख़्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया है। तथा कायमी जी.डी. पत्रावली पर प्रपत्र सं.-10 बी/39 के रूप में मौजूद है। जिसमें उपरोक्त मुकदमा का खुलाया किया गया था। शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया है।"

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-4 अरूण** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि-

"सचिन मेरे परिवार के नाते मेरे चाचा का लड़का लगता है। वह घटना के समय MSX मॉल में हल्दीराम में नौकरी किया करता था। वह दिनांक 10.09.2018 को ड्यूटी

खत्म कर अपने गांव इमलियाका वापस आ रहा था। सचिन ने समय रात्रि 11:15 बजे रात्रि में आकर बताया था कि जब वह आ रहा था तब ओपो कंपनी के पास 10-12 लोग द्वारा उस पर गोली से हमला कर दिया जिससे उसने अपनी स्कूटी वही छोड़कर घर आकर आया था। यह बात उसने मुझे, नरेश, राहुल व अपने परिवार के लोगों को आकर बतायी थी। इस पर मैं नरेश व राहुल व अन्य लोग सचिन के साथ घटनास्थल पर गये थे। वहां पर उस समय कोई व्यक्ति घटना कारित करने वाला मौजूद नहीं था। हम लोग सचिन की स्कूटी लेकर घर वापस आ गये थे। सचिन ने घटना के संबंध में मुकदमा लिखाया था। सचिन ने मुझे घटना कारित करने वाले लोगों ने गांव के जितेन्द्र उर्फ जितू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र, मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे व पवन के शामिल होने व देखने की बात नहीं बतायी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।"

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०-5 एस.आई. राजीव कुमार** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 11-09-2018 को थाना- ग्रे० नोएडा पर बतौर उ०नि० तैनात था। उस दिन मु०अ०सं० 254/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 506 I.P.C. वादी श्री सचिन पुत्र मिंदर निवासी ग्राम- इमलियां द्वारा बनाम जितेन्द्र उर्फ जीतू आदि पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना मुझ एस. आई. को सुपुर्द की गयी थी। थाना कार्यालय से एफ. आई. आर. नकल रपट प्राप्त कर, विवेचना प्रारंभ की गई। जिनकी नकल सी.डी. सं० 1 की गयी थी तथा बयानवादी सचिन तथा बयान कॉ० कुर्क/एफ.आई.आर. लेखक विनोद कुमार अंकित किये थे। दिनांक 12-09-2018 को सी.डी. सं० 2 किता की गयी, जिसमें वादी की निशानी पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गयी थी, जो पत्रावली पर कागज सं० 8 अ/1 पर मौजूद है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। दिनांक 14-07-2019 को सी.डी. सं०-16 किता की गयी, जिसमें अभियुक्त मनोज, अंकित, कपिल, देवेन्द्र, मोहित व रोहित के बयान अंकित किये गये तथा गवाहों के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण पवन, जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र, मोहित, रोहित, सौरव उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147,148, 307, 506 I.P.C. में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/1 ता 8 के रूप में मौजूद है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-5** डाला गया।"

16. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०, 1973 दिनांक 01.07.2026 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताया गया तथा मामले में झूंठा फंसाया जाना कहा गया।

17. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क विस्तृत रूप से सुने व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया।

18. अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 307, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण किया गया। उक्त धाराओं से संबंधित वर्णित विधि का क्रमशः उल्लेख किया जाना आवश्यक है-

(i) **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-146- बल्वा करना-** जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में

"Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in"

बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-147- बल्वा करने के लिये दण्ड- ज़ो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(ii) **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-148- घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना-** जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, बह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमर्मानि से, या दोनों से, दण्डित किया जायगा।

(iii) **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-149-विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी-** यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

(iv) **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-307- हत्या करने का प्रयत्न-** जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिन्पूर्व वर्णित हैं।

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न- जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

(v) **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-506-आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड.-** जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो- तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो; तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

19. क्या अभियुक्तगण द्वारा सचिन की गोली मारकार हत्या करने का प्रयत्न किया गया?

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "दिनाक 10.09.2018 को शाम 11:10 पर हल्दी राम (Mst Mall) से ड्यूटी आफ करके भाटी गोल चक्कर से इमलियाका

अपने ग्राम की तरफ जा रहा था, OPPO कम्पनी पानी की टंकी के पास से राइट साइड से निकल रहा था, तब ही दूसरी तरफ से गाँव के कुछ लोग लेफ्ट साइड पर 4 गाडी 3 बाईक पर लगभग 10 से 12 लोग खड़े हुए थे। जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने मुझ पर सीधी गोलियां चलाई, जान से मारने की नियत से, मुझ पर कई गोलियां चलाई, मैं जान बचाकर अपनी स्कूटी को वहां पर छोड़कर भागा। शोर मचाते हुए घर की तरफ भागा। मेरी आवाज व गोली की आवाज सुनकर चिल्लाते हुए घर की तरफ भागता हुए घर आ गए, मेरा भाई अरुण, राहुल नरेश भी मौके पर आ गए, हम लोगों ने इनको पहचाना नाम– 1. जितेन्द (जीतू) पुत्र सन्तू 2. अंकित पुत्र जुगला 3. कपिल पुत्र करतार 4. देवेन्द्र पुत्र सन्तू 5. मोहित पुत्र सन्तू 6. रोहित पुत्र सन्तू 7. सौरभ उर्फ काले पुत्र सुरेन्द्र, निवासीगण ग्राम इमलियाका गांव के ही थे जिनको में पहचानता हूँ और बाकी लोगों को पहचान नहीं पाया, तभी मैंने 100 नम्बर पर पुलिस को कॉल करी, उसके बाद पुलिस आयी। मैं आपसी गांव का मामला होने के कारण रात्रि में नहीं आ सका। आज दिन में इन लोगों ने मुझे फिर धमकी दी कि अगर तूने रिपोर्ट लिखाई तो तुझे जान से मार देंगे। तब मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ।"

20. प्रस्तुत प्रकरण में कायमी जी.डी. नम्बर–45 पत्रावली पर प्रपत्र **प्रदर्श क–3** के रूप में दाखिल है जिसमें उपरोक्त मुकदमा का खुलासा किया गया और मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गयी है। मुकदमा वादी की तहरीर **प्रदर्श क–1** के रूप में एवं प्रथम इत्तला रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** के रूप में पत्रावली पर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 10.09.2018 को रात्रि 23:10 बजे दर्शित किया गया। उसकी एफ.आई.आई. दिनांक 11.09.2018 को 19:00 बजे (शाम) को दर्ज करायी गयी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 20 घंटे विलम्ब से दर्ज है।

जहां तक प्रश्न अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के संदर्भ में अभियोजन अपने कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में सचिन (पीडित) को परीक्षित कराया गया।** इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं घटना के समय MSX मॉल में हल्दीराम में नौकरी करता था। वहां पर मेरी ड्यूटी का समय सुबह 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक का रहता था। मैं अपनी ड्यूटी ग्राम इमलियाका से ही किया करता था. दिनांक 10.09.2018 को मैं ड्यूटी के पश्चात् अपने गांव स्कूटी से जा रहा था। जब समय करीब 11:00 पी.एम. बजे पर मैं भाटी गोल चक्कर से होते हुए ओपो कम्पनी पानी की टंकी के पास पहुंचा तो वहां पर लेफ्ट साइट में तीन चार गाड़ी व बाइक पर 10-12 लोग खड़े हुए थे। तो मुझे वहां पर गोली चलने की आवाज आयी तो मैं डर गया मुझे लगा कि गोली मुझ पर चलाई गयी है। मैं डर कर अपनी स्कूटी वही पर छोड़कर अपने गांव की तरफ भागा। घर जाकर मैंने अपने भाई राहुल, अरूण व नरेश को बताया फिर कुछ देर बाद हम भाई व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर कोई व्यक्ति, गाड़ी व मोटरसाइकिल नहीं दिखी। हम लोग मौके पर पड़ी स्कूटी वहां से उठाकर घर पर ले आये थे। घटना से अगले दिन गांव के लोगों के कहने पर गांव के सूरत ने एक तहरीर लिखकर दी थी।

इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया कि घटना के समय घटनास्थल पर अपने गांव के जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र, मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले को नहीं देखा था। मैंने मनोज उर्फ आसे व पवन को भी घटनास्थल पर नहीं देखा था। पुलिस ने घटना के संबंध में मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन का समर्थन न करने पर साक्षी को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार पीडित साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी।

21. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या-03 पर यह स्वीकार किया गया कि गांव के मुल्जिमान से कोई पुराना विवाद व मुकदमा इत्यादि मेरा नहीं था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा

"Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in"

के पृष्ठ संख्या-03 पर यह भी स्वीकार किया गया कि यह कहना गलत है कि मैंने घटना के समय घटनास्थल पर मुल्जिमान जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र, रोहित, मोहित, सौरभ उर्फ काले को पहचान लिया हो और इन्हीं लोगों ने व मनोज उर्फ आसे व पवन ने मेरे ऊपर गोलियां चलाकर हमला किया हो।

इस प्रकार इस पीड़ित साक्षी द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति से यह साबित होता है कि इस पर अभियुक्तगण द्वारा गोली चलाकर हमला करने का प्रयत्न नहीं किया गया है।

22. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या-04 पर यह भी स्वीकार किया गया कि तहरीर सूरत ने मेरे बोलने पर नहीं लिखी ती और न ही मुझे पढ़कर सुनाई थी। मैंने तहरीर को पढ़े बिना व सुने तहरीर पर हस्ताक्षर कर दिये थे। यह कहना गलत है कि सूरत ने तहरीर मेरे बोलने पर ही लिखी हो और जो मैंने बोला हो वही सूरत ने लिखा हो और पढ़कर ही तहरीर पर हस्ताक्षर किये हो। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 द.प्र.सं.,1973 पढ़कर सुनाया गया था तो गवाह ने कहा कि मेरे द्वारा दरोगा जी को इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया और यदि दरोगा जी ने ऐसा कुछ लिख लिया है तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकता।

इस पीड़ित साक्षी की स्वीकारोक्ति से यह दर्शित होता है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लेखबद्ध की गयी तहरीर उसकी इच्छा के विरूद्ध और उसकी जानकारी के बिना उससे हस्ताक्षर कराये गये। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने विवेचक को दिया गया बयान अन्तर्गत धारा-161 द.प्र.सं.,1973 को इंकार करना भी अभियुक्तगण को घटना में शामिल होना, संदिग्ध साबित करता है।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ट संख्या-06 पर यह स्वीकार किया कि यह कहना सही है कि अभियुक्तगण जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र, मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे व पवन द्वारा मेरे ऊपर कोई जान से मारने की नीयत से फायर नहीं किया था और न ही अगले दिन उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कोई धमकी इस बाबत नहीं दी गयी कि अगर तुमने रिपोर्ट लिखवाई तो जान से मार दिया जायेगा।

इस साक्षी की यह स्वीकारोक्ति अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के तथ्य को स्पष्टतः इंकार किया है।

23. अभियोजन साक्षी संख्या-2 के रूप में नरेश कुमार को परीक्षित कराया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा कागज संख्या-21क में यह कथन किया कि दिनांक 10.09.2018 को सचिन अपनी ड्यूटी खत्म कर गांव इमलियाका वापस आ रहा था। समय रात्रि 11:15 बजे सचिन द्वारा घर आकर बताया कि ओपो कंपनी, पानी की टंकी के पास, 10-12 लोग 3-4 गाड़ियों व बाइक पर थे। जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे गोली चलने की आवाज आयी। सचिन को ऐसा लगा कि गोली उस पर चलाई गयी थी। सचिन डर कर अपनी स्कूटी छोड़कर वहां से भाग आया था। इस साक्षी की यह स्वीकारोक्ति यह दर्शित करती है कि पीड़ित सचिन के ऊपर अभियुक्तगण द्वारा गोली चलायी गयी, के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य न देते हुए आशंका व्यक्त की ग यी है।

इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ट संख्या-02 पर यह स्वीकार किया कि सचिन ने मुझे घटना कारित करने वाले लोगों में गांव के जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र व मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे और पवन के शामिल होने व देखने की बात नहीं बतायी थी। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा मुझसे कोई पूछताछ नहीं की गयी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा दिया गया बयान अन्तर्गत धारा-161 द.प्र.सं.,1973 संदिग्ध साबित होता है। इस साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि पीड़ित द्वारा उसे कभी नहीं

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”

बताया गया कि अभियुक्तगण द्वारा ही उसके ऊपर हमला किया गया। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, किन्तु इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या-2 पर यह कथन किया कि यह कहना गलत है कि सचिन ने मुझे उसके साथ घटना कारित करने वाले मुल्जिमान जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र व मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे और पवन के नाम बताये थे। और न बताने वाली बात आज मैं न्यायालय में झूठ बता रहा हूं। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 द.प्र.सं., 1973 पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने विवेचक महोदय को नहीं दिया था। इस प्रकार साक्षी की स्वीकारोक्ति अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है, बल्कि अभियुक्तगण की निर्दोषिता के संदर्भ में दिया गया साक्ष्य है।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या-04 पर यह कथन किया कि मैंने घटनास्थल पर आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र व मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे और पवन को नहीं देखा था। उपरोक्त आरोपियों द्वारा मुझे जान से मारने की किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी थी। इस साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता को संदिग्ध साबित करती है।

24. **अभियोजन साक्षी संख्या-04 के रूप में अरूण कुमार** को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ संख्या-02 पर यह स्वीकार किया है कि सचिन ने मुझे घटना कारित करने वाले लोगों में गांव के जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र व मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे और पवन के शामिल होने व देखने की बात नहीं बतायी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।

इस प्रकार इस साक्षी की स्वीकारोक्ति भी अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना संदिग्ध साबित करता है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या- 04 पर यह स्वीकार किया कि मैंने कोई घटना घटित होते हुए नहीं देखी थी। ना ही मैंने घटनास्थल पर आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू, अंकित, कपिल, देवेन्द्र व मोहित, रोहित, सौरभ उर्फ काले, मनोज उर्फ आसे और पवन को नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा दिया गया बयान अभियोजन कथानक को संदिग्ध साबित करता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों व साक्ष्य से अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

26. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्षियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोहित, मनोज उर्फ आसे, पवन, सौरभ उर्फ काले, देवेन्द्र व कपिल** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 147,148,149,307,506 भा.द.सं.,1860 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं है। अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

27. अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोहित, मनोज उर्फ आसे, पवन, सौरभ उर्फ काले, देवेन्द्र व कपिल** को सत्र परीक्षण सं.-25/2024, मु.अ.सं.-254/2018, अन्तर्गत धारा- 147,148,149,307,506 भा.द.सं.,1860, थाना ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र एवं

स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

28. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए द.प्र.सं. का अनुपालन पूर्व में ही किया जा चुका है।

29. वस्तु प्रदर्शों का निस्तारण अपील होने की दशा में, अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार, और अपील न होने की दशा में, बाद मियाद अपील, नियमानुसार किया जायेगा।

(आशीष कुमार चौरसिया)
दिनांक-15.07.2026 **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-6,**
गौतमबुद्धनगर।
जे०ओ० कोड–यू०पी०–6360

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(आशीष कुमार चौरसिया)
दिनांक-15.07.2026 **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-6,**
गौतमबुद्धनगर।
जे०ओ० कोड–यू०पी०–6360

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”